

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ4(ई) (वी-96/90)अलेसे-III/709-716

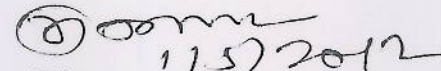
दिनांक:- 1-5-12

कार्यालय आदेश

श्री विमल कुमार जैन, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है ।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नहस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा उक्त श्री विमल कुमार जैन, क0लेखाकार को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करते हैं । निलम्बन काल के दौरान श्री विमल कुमार जैन, क0लेखाकार को राजस्थान सेवा नियम 53 के अनुसार निर्वाह भत्ता देय होगा ।

अतः श्री जैन, कनिष्ठ लेखाकार को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कोष एवं लेखा, जयपुर में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है ।

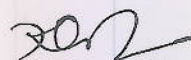

निदेशक 1/5/2012

क्रमांक:- एफ4(ई) (वी-96/90)अलेसे-III/709-716 -

दिनांक:- 1-5-12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर
- 2 परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-2 अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर, कोषाधिकारी, सचिवालय/शहर, जयपुर
- 3 विशेषाधिकारी (कंप्यूटर), (वेबसाइट हेतु)
- 4 श्री विमल कुमार जैन, क0लेखाकार (निलम्बित) द्वारा अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर
- 5 श्री विमल कुमार जैन, क0लेखाकार (निलम्बित) राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-2 अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
- 6 जांच शाखा/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/
- 7 निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक {कार्मिक-II}